

अधिनियम और नियमों के
तहतनिर्धारित यातायात अपराध
और दंड

मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के
अधीन अपराध एवं दंड जुर्माना

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा / नियम	कारावास	जुर्माना	दोनों से
1	बिना प्रभावी लाइसेंस के यान चलाना	धारा 3 के साथ सपठित धारा 181	3मास	₹-5000	या दोनों से
2	नाबालिक द्वारा ड्राइविंग किया जाना	धारा 4 के साथ सपठित धारा 181	3मास	₹-5000	या दोनों से
3	माता पिता या वाहन स्वामी द्वारा अवयस्क को यान चलाने की अनुमति देना	धारा 5 के साथ सपठित धारा 181	3मास	₹-5000	या दोनों से
4	किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए देना	धारा 6 (2) के साथ सपठित धारा 181	—	₹-500 ₹-1500	—
5	अयोग्य द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना	धारा 23 के साथ सपठित धारा 181(1)	3 मास	₹-10000	—
6	अयोग्य व्यक्ति द्वारा परिचालक	धारा 36 के साथ सपठित धारा 182	3 मास	₹-10000	या दोनों से

	का काय करना				
7	अत्यधिक गति से यान चलाना	धारा 112 के साथ सपठित धारा 183(1)	-	₹-10000 से कम नहीं अधिकतम ₹-20000 तक	लाइसेंस सस्पेंड
8	अधिक भार लादना या लादने की अनुमति देना	धारा 113(3) 114, 115 के साथ सपठित धारा 194(1)	-	₹-20000 और ₹-2000 प्रति टन	-
9	यान तुलवाने से इनकार करना	धारा 114 के साथ सपठित धारा 194(2)	-	₹-40000	-
10	बार्यीं ओर से नियंत्रित होने वाले यान को चलाना	धारा 120 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
11	खतरनाक तरीके से यान चलाना	धारा 184 के साथ सपठित धारा 188	6 मास से 2 वर्ष तक	₹-1000 से 5000 तक ₹- 10000	या दोनों से
12	शराब के नशे में ड्राइविंग करना	धारा 185 के साथ सपठित धारा 188	6 मास से 2 वर्ष तक	₹-10000 ₹-15000	या दोनों से
13	मानसिक रूप से अयोग्य द्वारा वाहन का चलाना	धारा 186 के साथ सपठित धारा 188	3 मास	₹-1000 ₹-2000	-
14	बिना बीमा के यान चलाना	धारा 146 के साथ सपठित धारा 196	3 मास	₹-2000 ₹-4000	या दोनों से
15	यातायात चिन्हों का पालन न करना	धारा 119 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
16	संकेतों का पालन न	धारा 121 के साथ	-	₹-500 ₹-1500	-

	करना	सपाठित धारा 177			
17	यान चालक को बाधा डालने के लिए अनुमति देना	धारा 125के साथ सपाठित धारा 177	—	₹-500 ₹-1500	—
18	मोटर साइकिल पर तीन सवारी बैठना	धारा 128 (1) के साथ सपाठित धारा 194(c)	—	₹-500 ₹-1500	—
19	चार साल के बालक को मोटर साइकिल पर ले जाते समय हेलमेट न पहनाना	धारा 129 के साथ सपाठित धारा 194(d)	—	₹-500	3मास के लिए लाइसेंस जप्त

20	यान को सार्वजनिक जगह पर छोड़ना	धारा 122,127के साथ सपाठित धारा 177	3मास	₹-500 ₹-1500	टोचनु खर्च अलग से देय —
21	रनिंग बोर्ड पर यात्रा करना या करने देना	धारा 123(1) के साथ सपाठित धारा 177	—	₹-500 ₹-1500	—
22	बिना सावधानी के यान खड़ा करना	धारा 126के साथ सपाठित धारा 177	—	₹-500 ₹-1500	—
23	बिना गार्ड के रेलवे क्रॉसिंग पर असावधानी	बिना गार्ड रेलवे क्रॉसिंग पर असावधानी	—	₹-500 ₹-1500	—
24	यान रोकने में विफलता	यान रोकने में विफलता नयन में ज्वलन शील पदार्थ ले जाना	—	₹-500 ₹-1500	—
25	यान में ज्वलन शील पदार्थ ले जाना	धारा 177	—	₹-500 ₹-1500	—

26	यान की छत पर यात्रा करना	धारा 123(2) के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
27	बिना सूचना के पता परिवर्तन कराना	धारा 149 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
28	यान हस्तान्तरण के समय Rto को सूचना न देना	धारा 50 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
29	Rto द्वारा चालक लाइसेंस मागने पर न देना	धारा 130(1) के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
30	कंडक्टर द्वारा लाइसेंस पेश करने में विफलता	धारा 130(2) के साथ सपठित धारा 181	-	₹-500 ₹-1500	-
31	वाहन का प्रपत्र मांगे जाने पर न पेश करना	धारा 130(3) के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
32	वाहन का प्रपत्र पेश करने में विफलता	धारा 158 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
33	12 साल से ज्यादा समय तक बिना रजिस्ट्रीकरण के यान चलना	धारा 47 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
34	वाहन स्वामी द्वारा चालक परिचलक का पता न दिए जाने पर	धारा 133 के साथ सपठित धारा 187	6 मास से 1 साल तक	₹-5000 ₹-10000	दोनों से
35	यान के दुर्घटना ग्रस्त होने पर चालक द्वारा कर्तव्यों का पालन न किया जाना	धारा 134 के साथ सपठित धारा 187	6 मास से 1 साल तक	₹-5000 ₹-10000	दोनों से

36	बिना पंजीयन के यान चलना	धारा 39(1) के साथ सपठित धारा 192(1)	1वर्ष	₹-5000 परन्तु ₹-2000से कम नहीं	या दोनों से
37	परमिट से अलग मार्ग पर यान चलना	धारा 66के साथ सपठित धारा 192(क)	6मास से 1वर्ष	₹-10000	-
38	खराब वाहन को सड़क पर चलाया जाना	धारा 190(1)	3माससे 6मास तक	₹-5000	या दोनों से
39	ध्वनि वायु एवं सड़क सुरक्षा के मान दंडों का पालन करते हुए या न चलाना	धारा 190(2)	3मास से 6मास तक	₹-10000व DL जप्त 3 माह के लिए	या दोनों से

40	हजारों यान चलाते समय नियमों का उल्लंघन	धारा 190(3)		₹-10000 व DL जप्त 3 माह के लिए	या दोनों से
41	मंजली गाड़ी में बिना टिकट के यात्रा करना	धारा 124 सपठित धारा 178(1)		₹-500	-
42	कम मूल्य का टिकट जारी करना	धारा 178(2)		₹-500	-
43	यात्री को ले जाने से इनकार करना	धारा 178(3)		₹-500	-
44	प्राधिकारी के आदेशों कि अवज्ञा	धारा 179 (1)		₹-20000	-
45	अपेक्षित सूचना न देना	धारा 190(1)	3मास	₹-2000	या दोनों से
46	बिना अनुमति के ट्रैड में भाग लेना	धारा 189	3मास	₹-5000	या दोनों से
47	बिना अधिकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना	धारा 93के साथ सपठित धारा 193	6मास	₹-1000 ₹-2000	दोनों से

48	बिना प्राधिकार के यान ले जाना	धारा 197	3मास	₹-2000	या दोनों से
49	यान में अप्राधिकृत हस्तक्षेप करना	धारा 198	3मास	₹-5000 ₹-10000	या दोनों से
50	अध्याय 7 के अधीन बनाए गए नियमों का पालन न करना	धारा 109के साथ सपठित धारा 182(क)-1	1वर्ष	₹-100000	या दोनों से
51	अध्याय 7 के अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने में असफलता	धारा 109 के साथ सपठित धारा 183(क)-1	1वर्ष	₹-1अरब	या दोनों से
52	अध्याय 7 के अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने में विफल रहना	धारा 189 के साथ सपठित धारा 182(क)-3	1वर्ष	₹-100000	प्रत्येक संकट के लिए
53	यान में अंतरण कराना	धारा 109के साथ सपठित धारा 182(क)-4	6मास	₹-5000	या दोनों से
54	अधिक यात्रियों का वहन	धारा 194(क)	—	₹-2000 प्रत्येक अधिक यात्रियों के लिए	—
55	सीट बेल्ट न पहनना	धारा 194(ख)	—	₹-1000	—
56	14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए सुरक्षा उपकरण का उपयोग न करना	धारा 194(ख) -2	—	₹-1000	—
57	आपात कालीन यानों	धारा 194(ड)	—	₹-10000	दोनों से

	को पास न देना				
58	अनावश्यक हार्न बजाना	194 (च)	-	₹-1000 ₹-2000	-
59	किशोर अपराध	धारा 199(क)	3वर्ष	₹-25000 लाइसेंस 25 वर्ष कि आयु में मिलेगा	12माह के लिए रजिस्ट्रेशन जप्त 8

60	बिना लाइसेंस के ड्राइविंग स्कूल चलना	नियम 24सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
61	यान चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना	नियम 21(23)सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
62	माल यान में क्षमता से ज्यादा व्यक्ति बैठना	नियम 21(10)के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
63	टैक्सी या ऑटो रिक्सा चालक द्वारा ज्यादा भाड़े की मांग करना	नियम 21 (23)के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
64	बिना नंबर प्लेट के यान चलना	धारा 50 के साथ सपठित धारा 177	-	₹-500 ₹-1500	-
65	सार्वजनिक जगह पर यान रखना	धारा 201	-	₹-500	-

